# प्रेस नोट - थाना तिलहर

## जनपद शाहजहाँपुर

## दिनांक – 20.09.2026

### थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत चोरी से सम्बन्धित अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के निकट पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर के कुशल नेतृत्व में थाना तिलहर पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 10.09.2026 को सुमन पत्नी स्व0 वीरपाल नि0ग्रा0 राईखेडा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादिनी की तीन भैसों को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 - 482/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. अतुल उर्फ आनन्द पुत्र विजेन्द्र कुमार नि0ग्रा0 सफ्त्यारा थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर 2. अमित गुप्ता पुत्र गजेन्द्र पाल गुप्ता नि0ग्रा0 सफ्त्यारा थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर को मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 19.09.2026 को बंथरा रेलवे ब्रिज के पास से समय 23.04 बजे घटना में प्रयुक्त 01 सीजशुदा मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 01 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन व कुल 8000 रुपये के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने विवेचना अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -**

1. अतुल उर्फ आनन्द पुत्र विजेन्द्र कुमार नि0ग्रा0 सफ्त्यारा थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर उम्र 22 वर्ष।
2. अमित गुप्ता पुत्र गजेन्द्र पाल गुप्ता नि0ग्रा0 सफ्त्यारा थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर उम्र 23 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 - 482/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

**बरामदगी का विवरणः-**

01 सीजशुदा मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस।

01 अदद एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन।

कुल 8000 रुपये।

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक/समय –**

बंथरा रेलवे ब्रिज के पास से, दिनांक 19.09.2026 को समय 23.04 बजे।

**अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-**

प्रभारी निरीक्षक प्रभाषचन्द्र थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

उ0नि0 सौरभ शुक्ला थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

का0 विनय कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

का0 धर्वेन्द्र कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
का0 अमित ढाका थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

**गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण -**

पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 27.08.2026 को हम लोगों ने ग्राम राईखेड़ा से 03 भैंसें चोरी की थीं। उक्त भैंसें हमारे अन्य साथी राजकमल उर्फ कमल उर्फ टाइगर पुत्र राजेन्द्र, नि0ग्रा0 राईखेड़ा, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर तथा नन्हे मिश्रा उर्फ पंडित पुत्र छोटेलाल, नि0 अब्दुल्लागंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा ग्राम राईखेड़ा से चोरी करके हमें दी गयी थीं। मो० हयातपुरा के पास राजकमल उर्फ टाइगर एवं नन्हे मिश्रा उर्फ पंडित ने उक्त भैंसें हमसे ले ली थीं। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने भैंस चोरी के एवज में अतुल को ₹15,000/- तथा अमित को ₹13,000/- दिये थे तथा शेष धनराशि बाद में देने की बात कही थी। कुछ समय पश्चात चोरी की गयी भैंसों को ले जाते हुए हम लोगों का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद हम लोग अपने-अपने घर से भाग गये थे। उपरोक्त पूछताछ के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा बताये गये तथ्यों एवं प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।